5406(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 15/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत काटी–मड़वन पथ के कि०मी० 0.00 से 12.55 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–418(अनु0) दिनांक–31.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत काटी–मड़वन पथ के कि०मी० 0.00 से 12.55 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13
2.2	एकरारनामा संख्या	:	18 SBD/ 2012-13
2.3	एकरारनामा की राशि	:	(i) Original Agreement :- ₹25,82,90,200.00 (ii) Supplementary Agreement :- ₹75,04,711.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Singh Construction Pvt. Ltd., Muzaffarpur
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	14.01.2013
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	13.01.2015
2.7	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	04.06.2016

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) **माओवादी गतिविधि के कारण विलंब** – संवेदक के अन्य कार्यस्थल पर माओवादियों द्वारा दिनांक–03.04.2013 को उनके सड़क निर्माण के मशीनरी को जला दिया गया, जिसकी FIR दिनांक–04.04.2013 को साहेबगंज थाना, मुजफ्फरपुर को की गई थी। संवदेक द्वारा यह भी सूचित किया गया कि पथ में मशीनरी जलाने एवं धमकाने के

15.7.19

कारण मजदुरों तथा कर्मियों में भय व्याप्त हो गया जिसका प्रभाव कार्य पर पड़ा एवं कार्य की प्रगति बाधित हो गई।

उपरोक्त के कारण इस मद में संवेदक द्वारा 86 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा कुल–30 दिनों की अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

(ii) **पथ में भूमि व्यवधान के कारण कार्य वाधित –**

(क) कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–149(अनु0) दिनांक–23.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निविदा के फलस्वरूप यह पाया गया कि पथ के चैनेज 1300 मी० से 4300 मी० के बीच पथ का Raising करने की आवश्यकता हुई। उक्त पथांश के बीच अधिकतम Box Culvert में wing wall का निर्माण भी किया जाना था, जिसके क्रम में पथ का ROW कम रहने के कारण wing wall के निर्माण में स्थानीय भू–धारियों द्वारा व्यवधान पैदा की जा रही थी।

(ख) चैनेज 8300 पर खेसरा संख्या–281, खाता संख्या–102 सरकारी भूमि थी, जिसका बंदोवस्ती पर Title Suite, माननीय व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर में विचाराधीन है। उक्त जमीन के बगल में खेसरा संख्या–282 की जमीन गैरमजरूआ तथा अतिक्रमित था। संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि विषयांकित कार्य के अन्य पथांश पर भी भूमि विवाद था। प्रमंडलीय अमीन द्वारा विवादित भूमि का नापी कर दिनांक–10.04.2013 को कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर को सूचित किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा इसकी सूचना उनके पत्रांक–506अनु0 दिनलांक–10.04.2013 द्वारा वरीय उप समाहर्त्ता, प्रभारी, जिला शिकायत कोषांग, मुजफ्फरपुर को दिया गया। परन्तु पक्षकारों द्वारा असंतुष्ट होने पर तथा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पश्चिम, मुजफ्फरपुर द्वारा इसकी जाँच की गई। परन्तु परिवादी द्वारा पक्षपात का आरोप लगाने के कारण विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा जिलापदाधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात् दिनांक–14.03.2015 को विवादित भूमि का संयुक्त मापी अंचल अमीन तथा पथ निर्माण विभाग के अमीन द्वारा संपादित किया गया।

इस प्रकार पथ के लगभग 3.0 कि०मी० पथांश में भूमि विवाद रहने के कारण संवदेक द्वारा इस मद में कुल 703 दिनों का अनुरोध किया गया, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 284 दिनों की अनुशंसा की गई है।

15.7.19

(iii) **पथ के ROW में मिट्टी की अनुपलब्धता के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–1874 दिनांक–28.11.2014 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में अवर प्रमंडलीय कार्यालय के पत्रांक–22 दिनांक–03.02.2015 द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय को सूचित किया गया, कि पथ के ROW कम रहने के कारण मिट्टी अनुपलब्ध है। अधीक्षण अभियंता द्वारा भी अपने पत्रांक–254 दिनांक–25.02.2015 द्वारा मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग के अतिरिक्त लीड हेतु अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा 89 दिनों का अनुरोध किया गया है जिसमें 49 दिनों की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(iv) **एकरारनामे के अतिरिक्त 12 अद्द पुलियों का निर्माण कार्य का संपादन** – तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर एकरारनामा संपादित कराया गया, जिसमें कुल 19 अद्द नए पुलियों का निर्माण कार्य किया जाना था। आवश्यकता के अनुरूप पथ के चैनेज 1300 से 4300 के बीच लगभग 3 कि०मी० पथांश के विभिन्न चैनेज में तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में 31 पुलिया का प्रावधान किया गया, जिसके संपादन में अतिरिक्त समय लगा।

संवेदक द्वारा इस मद में 120 दिनों का अनुरोध किया गया, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 60 दिनों का अनुशंसा किया गया है।

(v) **कार्य अवधि में Non Working period का समाहित नहीं होना** – कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित कार्य के एकरारनामें की अवधि में Non working period समाहित नहीं था। इस कारण संवदेक द्वारा जुलाई 2013 से सितम्बर 2013 तक 45 दिन एवं जुलाई 2014 से सितम्बर 2014 तक 45 दिन का अवधि विस्तार का अनुरोध इस मद में किया गया है। जिसमें 60 दिनों की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(vi) **पोल शिफटिंग के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि पोल शिफटिंग का कार्य Supplementary Agreement के तहत कराया गया। कार्य के दौरान Shutdown का Regular नहीं मिलना, विपत्र का बिजली विभाग से सत्यापन, Dismantling के दौरान प्राप्त सामग्री को केन्द्रीय गोदाम में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त करना एवं सबंधित विभाग से पुनः सत्यापन आदि जटिल प्रक्रिया के कारण कार्य संपादन में अतिरिक्त समय लगा।

संवेदक द्वारा इस मद में 60 दिनों का अनुरोध किया गया, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 25 दिनों की अनुशंसा की गई हैं।

15-7-19

अतः एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् संवेदक को विभिन्न व्यवधानों का हल दिनांक–14.03.2015 को प्राप्त हुआ जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 508 दिनों अर्थात दिनांक–04.06.2016 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक–04.06.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–**

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–418(अनु0) दिनांक–31.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत काटी–मड़वन पथ के कि०मी० 0.00 से 12.55 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 (एकरारनामा संख्या–18 SBD/2012-13) हेतु दिनांक–04.06.2016 तक SBD के Clause-10 CC के तहत Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अर्थात विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तद्नुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

15/07/19	15.7.19	15.7.19	15.7.19
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(भवानी नंदन) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

5406(E)

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–04–39/2019 **पटना, दिनांक** 15/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अचंल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.7.19
(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।